न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–452/2017 राजस्व वाद

अनवान

श्री जीवण सिंह पिता सुल्तान सिंह राजपुत उम्र–वयस्क निवसी कुंवार (जीणा) तहसील करेडा जिला भीलवाडा —— वादी।

बनाम

1– श्री बागसिंह पिता सुल्तान सिंह राजपुत उम्र–वयस्क निवसी कुंवार (जीणा) तहसील करेडा जिला भीलवाडा

2–धीसू कंवर पुत्री सुल्तान सिंह राजपुत पत्नि रामसिंह राजपुत उम्र–वयस्क निवासी कुंवार हाल निवास बाण्डा तहसील आमेट जिला भीलवाडा

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदान साहब करेडा जिला भीलवाडा

—— प्रतिवादीगण।

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः–

1– श्री शरद कुमार पालीवाल अधिवक्ता वादी

2– श्री ताराचन्द जैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

3– पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय

दिनांकः 28.03.2018

वादी ने एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती हेतु इस न्यायालय में दिनांक 07.11.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुंवार पटवार हलका मोटा का खेडा तहसील करेडा में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की आराजियात वादपत्र की कलम संख्या 2 में निम्नानुसार वर्णित है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

(ए) खाता सख्या 47 के अनुसार आराजी संख्या 69 रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 71 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 72 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 292 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 293 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं बेवा सुल्तान सिंह के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित चली आ रही है।

(ब) खाता संख्या 48 के अनुसार आराजी संख्या 269 रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 280 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 06 बिस्वा भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं बेवा सुल्तान सिंह के नाम पर 1/2 हक व हिस्से से राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित चली आ रही है।

(स) खाता संख्या 49 के अनुसार आराजी संख्या 55 रकबा 01 बीघा, आराजी संख्या 56 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 57 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 58 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 59 रकबा 09 बिस्वा, आराजी संख्या 60 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 61 रकबा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 62 रकबा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 63 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 64 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 65 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 66 रकबा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 67 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 68 रकबा 07 बिघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 73 रकबा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 105 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 106 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 107 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 108 रकबा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 264 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 265 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 266 रकबा 9 बिघा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 268 रकबा 01 बीघा, आराजी संख्या 271 रकबा 09 बिस्वा, आराजी संख्या 272 रकबा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 273 रकबा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 274 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 279 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 296 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 56 रकबा 07 बिस्वा एवं आराजी संख्या 297 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 31 कुल रकबा 32 बिघा 01 बिस्वा भूमि उक्त वर्णित आराजियात वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं बेवा सुल्तान सिंह के नाम पर 1/2 हक व हिस्से से राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित चली आ रही है।

विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सुल्तान सिंह के सहखातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य की थी। सुल्तानसिंह जी की मृत्युपरांत नामान्तरणकरण संख्या 179 दिनांक 06.05.1993 से वादी एवं प्रविादी संख्या 1 एवं सुल्तानसिंह की बेवा के नाम पर अभिलिखित की गयी किन्तु उक्त ईंतकाल में बेवा का नाम अंकित न होने से जमाबन्दी में भी मात्र बेवा का अंकन राजस्व रेकार्ड में आज दिन तक अभिलिखित चला आ रहा है जबकि सुल्तानसिंह जी की बेवा का नाम भंवर कंवर होकर उनका दिनांक 13.04. 2016 को निधन हो चुका है इस प्रकार विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड मं मात्र बेवा के रूप में अभिलिखित चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

है। इस प्रकार सुल्तानसिंह जी की बेवा 2ए मे वर्णित विवादित आराजियात 1/9 एवं 2बी, 2सी मे वर्णित विवादित आराजियात मे 2/9, 2/9 हक व हिस्सा होकर इसी अनुसार के काबिज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही थी।

सुल्तानसिंह जी की बेवा का निधन हो जाने के उपरांत उनके प्रथम श्रेणी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के होने से उनका हक व हिस्सा कानूनन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निहित हुआ है ओर मौके पर भी इसी हक व हिस्से से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वाद की धारा 2ए मे वर्णित विवादित आराजियात मे 4/9, 4/9 तथा 2बी, 2सी मे 2/9, 2/9 व प्रतिवादी संख्या 2 का क्रमशः 1/9 व 1/18 हक व हिस्सा काबिज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है।

वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात बाबत् चले आ रहे अंकन में इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु कहा किन्तु वह टालमटोल करते रहे। वादी ने पुनः दिनांक 01.07.2017 को प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वाद की धारा 2ए में वर्णित विवादित आराजियात 4/9, 4/9 तथा 2बी, 2सी में 2/9, 2/9 व प्रतिवादी संख्या 2 का क्रमशः 1/9 व 1/18 हक व हिस्से से दर्ज करने हेतु कहते हुए इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया इतना ही नही प्रतिवादीगण वादी को 2ए में वर्णित आराजियात 4/9 हक व हिस्से एवं 2बी, 2सी में वर्णित विवादित आराजियात के 2/9, 2/9 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार होना भी नही मानते है इस कारण यह घोषणा की जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वादी 2ए में वर्णित आराजियात 4/9 हक व हिस्से एवं 2बी, 2सी में वर्णित विवादित आराजियात के 2/9, 2/9 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 भी 2ए में वर्णित आराजियात के 4/9 हक व हिस्से एवं 2बी, 2सी में वर्णित विवादित आराजियात के 2/9, 2/9 हक व हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2, 2ए में वर्णित आराजियात के 1/9 हक व हिस्से एवं 2बी, 2सी में वर्णित विवादित आराजियात के 1/18, 1/18 हक व हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक हो गया है तथा राजस्व जमाबन्दी में बेवा सुल्तान सिंह अंकन हटाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र इस न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ताराचन्द जैन मय पक्षकार उपस्थित होकर अधिकार पत्र एवं इकबाली जवाबदावा पेश किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में जमाबन्दी ग्राम कुंवार, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा खाता संख्या 37 खाता सं० 39 सम्वत् 2046 से 2049 जमाबन्दी ग्राम कुंवार, तहसील करेडा जिला भीलवाडा खाता संख्या 47 सम्वत् 2070 से 2073

उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट करेडा

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी ग्राम कुंवार, तहसील करेडा जिला भीलवाडा खाता संख्या 48 सम्वत् 2070 से 2073

जमाबन्दी ग्राम कुंवार, तहसील करेडा जिला भीलवाडा खाता संख्या 49 सम्वत् 2070 से 2073

जमाबन्दी ग्राम कुंवार, तहसील करेडा जिला भीलवाडा खाता संख्या 179 दिनांक 06.05.1993

मृत्यु प्रमाण पत्र सुल्तानसिंह पिता जरासिंह राजपूत दिनांक 24.12.2010

मृत्यु प्रमाण पत्र भंवर कंवर पत्नि सुल्तानसिंह राजपूत दिनांक 13.04.2016 प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में बहस समायत की गई। बहस के दौरान वादी के विद्धवान अधिवक्ता ने न्यायलय का प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज की ओर ध्यान दिलाते हुए बेवा सुल्तानसिंह का राजस्व अभिलेख से अंकन हटाये जाने हेतु आकृषित किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सहखातेदार कास्तकार घोषित किया जाये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा भी वाद का समर्थन किया गया तथा प्रतिवादी सख्या 3 द्वारा इन्द्राज दुरूस्त किया जाने पर कोई आपत्ति नही होना प्रकट किया।

प्रकरण में प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अत एंव

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र इस अमर की जारी की जाती है कि वादी को वाद पत्र की धारा संख्या 2ए में वर्णित संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 47 में वर्णित आराजियात में 4/9 हक हिस्से एवं वाद पत्र की धारा संख्या 2बी व 2सी में वर्णित संवत 2070 से 2073 की आराजियात के खाता संख्या 48 व 49 में 2/9, 2/9 हक हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को खाता संख्या 47 में 4/9 एवं खाता संख्या 48 व 49 2/9, 2/9 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खाता संख्या 47 में 1/9 व खाता संख्या 48 व 49 में 1/18, 1/18 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इनका नाम अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा राजस्व जमाबंन्दी में बेवा सुल्तान सिंह का अंकन हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

(रजनी माधीवाल)
आर०ए०एस पदेन
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–452/2017 राजस्व वाद

अनवान

1–श्री जीवण सिंह पिता सुल्तान सिंह राजपुत उम्र–वयस्क निवसी कुंवार (जीणा) तहसील करेडा जिला भीलवाडा -- वादी।

वनाम

1– श्री बागसिंह पिता सुल्तान सिंह राजपुत उम्र–वयस्क निवसी कुंवार (जीणा) तहसील करेडा जिला भीलवाडा

2–घीसू कंवर पुत्री सुल्तान सिंह राजपुत पत्नि रामसिंह राजपुत उम्र–वयस्क निवारी कुंवार हाल निवास बाण्डा तहसील आमेट जिला भीलवाडा

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदान करेडा जिला भीलवाडा -- प्रतिवादीगण।

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

दिनांकः 28.03.2018

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए व 188 रा0टि0ए01955 प्र0सं0 452/2017 रा.वाद निर्णय दिनांक 28.03.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई सवरूप अदालत व हिजरी वकील वादी श्री शरद कुमार पालीवाल मिनजानिब मुददई व वकील प्रतिवादी सं 1 व 2 श्री ताराचंद जैन मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी को वाद पत्र की धारा संख्या 2ए में वर्णित संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 47 में वर्णित आराजियात में 4/9 हक हिस्से एवं वाद पत्र की धारा संख्या 2बी व 2सी में वर्णित संवत 2070 से 2073 की आराजियात के खाता संख्या 48 व 49 में 2/9, 2/9 हक हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को खाता संख्या 47 में 4/9 एवं खाता संख्या 48 व 49 2/9, 2/9 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खाता संख्या 47 में 1/9 व खाता संख्या 48 व 49 में 1/18, 1/18 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इनका नाम अंकन किया जावे तथा राजस्व जमाबंन्दी में बेवा सुल्तान सिंह का अंकन हटाया जावे।

(रजनी माधीवाल)
उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner